

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 115]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च 2011—फाल्गुन 27, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग (मा.अ.प्र.)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2011

क्र. एफ-4-1-2004-1-मा.अ.प्र.-323.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग अधिकारी तथा कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2011 है।

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1993 का 10);

(ख) “नियुक्त प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या उसके द्वारा किसी पद या संवर्ग के प्रयोजन के लिए नियुक्त प्राधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी;

(ग) “अध्यक्ष (चेयरपर्सन)” से अभिप्रेत है, आयोग का अध्यक्ष या मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा (अधिनियम की धारा 25 के अधीन) प्राधिकृत किया गया स्थानापन्न अध्यक्ष;

(घ) “आयोग” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 21 के अधीन गठित मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग;

(ङ) “विभागीय पदोन्नति/सीधी भर्ती समिति” से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन गठित ऐसी समिति;

- (च) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है, आयोग का कर्मचारी या आयोग द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी या राज्य अल्पसंख्यक आयोग या अन्य शासकीय विभागों से संविलियन द्वारा, आयोग में कोई पद धारण करने वाला कर्मचारी ;
- (छ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन संचालित प्रतियोगिता परीक्षा या विभागीय परीक्षा ;
- (ज) "शासन" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन ;
- (झ) "सदस्य" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अनुसार नियुक्त किया गया आयोग का सदस्य ;
- (ञ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा, समय-समय पर, यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथासंशोधित नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग ;
- (ट) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;
- (ठ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ;
- (ड) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति, या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ;
- (ढ) "सेवा" से अभिप्रेत है, अनुसूची दो के कॉलम (2) में यथावर्णित सेवा ;
- (ण) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य ।
3. विस्तार और लागू होना. — मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुसूची-एक में अनुक्रमांक 1 से 8, 12 और 23 पर दर्शित आयोग के स्वीकृत पदों के सिवाय ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे ।

4. सेवा का गठन. — सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

- (क) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किसी पद को मूलरूप से या स्थानापन्न रूप में धारण कर रहे हों ;
- (ख) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व, सेवा में भर्ती किए गए हों ; और
- (ग) वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवाओं में भर्ती किए गए हों।

5. वर्गीकरण, पे बैंड आदि. — (1)सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न पे बैंड तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक के उपबंधों के अनुसार होगी:

परन्तु सरकार, अध्यक्ष के परामर्श से सेवा में सम्मिलित किए गए पदों की संख्या में समय-समय पर या तो स्थायी आधार पर या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगी।

- (2) सेवा के सदस्य, वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24.01.2008 के उपबंधों के अधीन समयमान वेतनमान के हकदार होंगे।

6. भर्ती का तरीका. —

- (1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :-

(क) प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ;

(ख) अनुसूची चार के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा ;

(ग) ऐसी सेवाओं में मूल पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए।

- (2) उप नियम (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या, अनुसूची दो में दर्शाए गए प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

7. सेवा में नियुक्ति. — इन नियमों के प्रारम्भ होने पर सेवा में समस्त नियुक्तियां आयोग या आयोग के अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में किसी एक तरीके द्वारा चयन के पश्चात् की जाएगी अन्यथा नहीं।

8. सीधी भर्ती की पात्रता की शर्तें. —

सीधी भर्ती द्वारा चयन स्पर्धा के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए, अर्थात् :—

(क) वह भारत का नागरिक हो ;

(ख) आयु. —

(एक) उसने चयन के प्रारम्भ होने की तारीख के ठीक आगामी वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-तीन के कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो और उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त न की हो ;

(दो) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ;

(तीन) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हो अथवा कर्मचारी रह चुके हो उच्चतर आयु सीमा नीचे दी गई सीमा तक तथा शर्तों के अधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :—

(1) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी या अस्थायी शासकीय कर्मचारी हो, 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। आरक्षित प्रवर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों को पांच वर्ष की छूट दी जायेगी। यह रियायत आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ;

(2) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण सेवा की अधिकतम सात वर्ष की सीमा तक की कालावधि भले ही वह कालावधि एक के अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते कि इसके परिणाम

स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ;

**स्पष्टीकरण** .—छंटनी किये गये "सरकारी सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य का या किसी भी घटक इकाई की सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छह माह की कालावधि तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हों अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण**. — पद "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह माह की निरन्तर कालावधि तक नियोजित रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने की या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण जिसकी छंटनी की गई हो अथवा अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था :-

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्त रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्शेसन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो ;
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो दूसरी बार भर्ती किए गए हो और अल्पकालीन वचनबंध अवधि तथा नामांकन संबंधि शर्तें पूर्ण कर लेने पर सेवोन्मुक्त कर दिए गए हो ;
- (3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी ;
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिनकी अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं उनकी संविदा के पूरे होने पर सेवोन्मुक्त किए गए हो ;

- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवोन्मुक्त किया गया हो ;
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो ;
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं ;
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिसको गोली लगने, घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(पांच) सीधी भर्ती हेतु महिला अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी ;

(छह) तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी। यह शिथिलीकरण आयु सीमा के संबंध में समस्त शिथिलीकरण के अतिरिक्त होगा ;

(सात) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में साधारण उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी ;

(आठ) आदिमजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन दंपति के किसी पुरस्कृत सवर्ण पति-पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ;

(नौ) विक्रम पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के लिए भी उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ;

(दस) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/बोर्ड के कर्मचारी हैं उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। आरक्षित प्रवर्ग के कर्मचारियों को पांच वर्ष तक अतिरिक्त शिथिलीकरण दिया जाएगा ;

(ग्यारह) नगर सेना (होमगार्ड्स) के स्वयं सेवी नगर सेनिकों तथा नान कमीशंड अधिकारियों को उनके द्वारा पूर्व में की गई नगर सेना सेवा की संपूर्ण कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी ;

**टिप्पणी:** उपर्युक्त उपखण्ड (तीन) (1) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें परीक्षा/चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् परीक्षा/चयन के पहिले अथवा बाद में सेवा से त्याग पत्र दे दें तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी की जाए तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जावें। विभागीय उम्मीदवार को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(ग) **शैक्षणिक अर्हताएं. —**

अभ्यर्थी के पास अनुसूची-तीन में दर्शाई गई सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए।

(घ) **फीस. —**

सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

**9. निरर्हता. —**

- (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को आयोग द्वारा उनके परीक्षा/चयन में बैठने के संबंध में निरर्हता माना जाएगा।
- (2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी भी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- (3) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

- (4) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

### 10. प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती .—

- (1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अन्तरालों से ली जायेगी, जैसा कि आयोग समय-समय पर निश्चित करें।
- (2) सीधी भर्ती के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 14 प्रतिशत आरक्षित रखे जाएंगे।
- (3) इस प्रकार आरक्षित रिक्त स्थानों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो।
- (4) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबन्धित अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये चुने जाते हैं, उप नियम (2) के अधीन यथास्थिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किये जा सकेंगे।
- (5) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों से संबन्धित अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिये उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएंगी और रिक्तियां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए अगले चयन हेतु आरक्षित रखी जाएंगी।
- (6) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (7) 6 प्रतिशत पद विकलांगों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे, बशर्ते कि वे जिस कार्य के लिये नियुक्त किये जा रहे हैं, उसे करने में सक्षम पाये जाएं।

11. चयन समिति का गठन, — अध्यक्ष द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से अभ्यर्थियों के चयन हेतु एक चयन समिति गठित की जाएगी।



## 12. चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची. —

- (1) चयन समिति, अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची तैयार करेगी जो ऐसे मानकों के अनुसार अर्ह हों जैसा कि समिति द्वारा अवधारित की जाए।
- (2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए अभ्यर्थियों के उपलब्ध नामों पर उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आए हों।
- (3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित कर लिए जाने से ही नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जाँच करने के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

## 13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति .—

- (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु चयन करने के लिए अध्यक्ष द्वारा एक समिति गठित की जाएगी।
- (2) समिति की बैठक सामान्यतः वर्ष में कम से कम एक बार होगी।
- (3) ऐसे पद, जिन्हें अनुसूची—दो में यथाविनिर्दिष्ट पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं, 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः आरक्षित रखे जायेंगे जो पदोन्नति के लिए पात्र हो।
- (4) पदोन्नति द्वारा आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार होगी।

## 4. पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्तें .—

- (1) समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की एक जनवरी को अनुसूची चार के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट उन पदों पर, जिनसे कि पदोन्नति की जानी है या किसी अन्य पद या पदों पर जिन्हें शासन ने उनके समतुल्य घोषित किया हो स्थानापन्न या मूल रूप में उतने वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, और जो विचारण क्षेत्र में आते हों:

परन्तु किसी कनिष्ठ व्यक्ति को उसके द्वारा सेवा की विहित कालावधि पूरी कर लिए जाने के आधार पर उसे पदोन्नति के लिए अपने से वरिष्ठ व्यक्ति की तुलना में अधिमान देकर विचारण नहीं किया जायेगा।

**15. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना .-**

- (1) समिति ऐसे व्यक्तियों की प्रवर्गवार एक सूची तैयार करेगी, जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति, सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे। इसके अतिरिक्त एक आरक्षित सूची भी तैयार होगी जिसमें दो लोक सेवकों अथवा 25 प्रतिशत व्यक्तियों के नाम, जो भी अधिक हो, उक्त चयन सूची में सम्मिलित होंगे। समिति, सूची में सम्मिलित करने के लिए प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर भी विचार करेगी।
- (2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए किया जाने वाला चयन वरिष्ठता पर समुचित रूप से ध्यान देते हुए योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा।
- (3) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा।
- (4) सामान्यतः, सूची तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता, किन्तु ऐसी सूची की विधिमान्यता उसके तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि के परे नहीं बढ़ाई जाएगी।

**16. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति .-**

चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा के संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम से की जाएंगी जिस क्रम से ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम चयन सूची में आए हों।

**17. परिवीक्षा .-**

सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

**18. निर्वचन .—**

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा और जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

**19. अन्य सेवा नियमों का लागू होना. —** आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 तथा पेंशन, उपदान, तथा सामान्य भविष्य निधि से संबंधित अन्य नियम समय समय पर यथा संशोधित रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधधीन रहते हुए लागू होंगे :—

(क) द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामले में आयोग का सचिव अनुशासनात्मक प्राधिकारी होगा और सचिव का पद रिक्त होने की दशा में आयोग द्वारा नामांकित व्यक्ति अनुशासनात्मक प्राधिकारी होगा,

(ख) खण्ड (क) में वर्णित विहित प्राधिकारी द्वारा पारित किये जाने वाले आदेश के विरुद्ध प्रत्येक अपील अध्यक्ष को की जाएगी,

(ग) जांच प्राधिकारी को संबंधित गवाहों या व्यक्तियों को नोटिस जारी करने की शक्ति होगी। वह उसके समक्ष उपस्थिति होकर साक्ष्य अथवा अभिलेख प्रस्तुत करने को भी बाध्य होगा,

**20. व्यावृत्ति. —**

इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची-एक  
(नियम 5 देखिये)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनु. क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सचिव	1	भा.प्र.से. सुपरटाइम वेतनमान	37400-67000+10000 (ग्रेड पे)
2.	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक	1	भारतीय पुलिस सेवा	22400-525-24500
3.	उप सचिव	1	न्यायिक सेवा	15600-39100+7600 (ग्रेड पे)
4.	पुलिस अधीक्षक / अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	1	पुलिस सेवा	37400-67000+8700 (ग्रेड पे)
5.	संयुक्त संचालक, जनसंपर्क	1	जनसंपर्क विभाग से पदस्थापना	15600-39100+7600 (ग्रेड पे)
6.	रजिस्ट्रार, विधि	1	न्यायिक सेवा	18750-400-19150-450- 21850-500-22850
7.	लेखा अधिकारी	1	वित्त तथा लेखा सेवा	15600-39100+5400 (ग्रेड पे)
8.	उप पुलिस अधीक्षक	3	पुलिस सेवा	15600-39100+5400 (ग्रेड पे)
9.	शोध अधिकारी	1	राज्य सेवा	15600-39100+5400 (ग्रेड पे)
10.	अनुभाग अधिकारी	1	राज्य सेवा	9300-34800+4200 (ग्रेड पे)
11.	निज सचिव	5	राज्य सेवा	9300-34800+4200 (ग्रेड पे)
12.	निरीक्षक	6	पुलिस सेवा	9300-34800+3600 (ग्रेड पे)
13.	निज सहायक	2	राज्य सेवा	9300-34800+3600 (ग्रेड पे)

14.	स्टेनोग्राफर (सचिव के लिए)	1	राज्य सेवा	9300-34800+3200 (ग्रेड पे)
15.	स्टेनोग्राफर	1	राज्य सेवा	5200-20200+2800 (ग्रेड पे)
16.	सहायक वर्ग-1	1	राज्य सेवा	5200-20200+2800 (ग्रेड पे)
17.	सहायक प्रोग्रामर	1	राज्य सेवा	5200-20200+2800 (ग्रेड पे)
18.	सहायक ग्रंथपाल	1	राज्य सेवा	5200-20200+2800 (ग्रेड पे)
19.	लेखापाल	1	राज्य सेवा	5200-20200+2400 (ग्रेड पे)
20.	सहायक ग्रेड-2	3	राज्य सेवा	5200-20200+2400 (ग्रेड पे)
21.	सहायक ग्रेड-3	12	राज्य सेवा	5200-20200+1900 (ग्रेड पे)
22.	स्वागतकर्ता	1	राज्य सेवा	5200-20200+1900 (ग्रेड पे)
23.	आरक्षक	12	पुलिस सेवा	5200-20200+1900 (ग्रेड पे)
24.	स्टेनो टायपिस्ट	4	राज्य सेवा	5200-20200+1900 (ग्रेड पे)
25.	वाहन चालक	9+1	राज्य सेवा	5200-20200+1900 (ग्रेड पे) कलक्टर दर पर 1 पद
26.	दफतरी	1	राज्य सेवा	4440-7440+1400 (ग्रेड पे)
27.	जमादार	5	राज्य सेवा	4440-7440+1400 (ग्रेड पे)
28.	भृत्य	12	राज्य सेवा	4440-7440+1300 (ग्रेड पे)
29.	भृत्य बुक लिफ्टर	1	राज्य सेवा	कलक्टर दर पर
30.	चौकीदार	5	राज्य सेवा	4440-7440+1300 (ग्रेड पे)
31.	फर्शा	1	राज्य सेवा	4440-7440+1300 (ग्रेड पे)

**अनुसूची-दो**  
**(नियम 6 देखिये)**  
**भर्ती का तरीका**

अनुक्रमांक	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा नियम 6 (1)(ग) देखिये	टिप्पण
			सीधी भर्ती द्वारा नियम 6(1)(क) देखिये	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 6(1)(ख) देखिये		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	शोध अधिकारी	1	100 प्रतिशत	—	—	—
2	अनुभाग अधिकारी	1	—	100 प्रतिशत	—	सहायक ग्रेड-1 से पदोन्नति द्वारा
3	सहायक ग्रेड-1	1	—	100 प्रतिशत	—	सहायक ग्रेड-2 अथवा लेखापाल-सह केशियर में से पदोन्नति द्वारा
4	निज सचिव	5	—	100 प्रतिशत	—	निज सहायकों(पी.ए.) से पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति पर

5	निज सहायक	2	—	100 प्रतिशत	—	स्टेनोग्राफर (वरिष्ठ वेतनमान) में से पदोन्नति द्वारा
6	स्टेनोग्राफर (वरिष्ठ वेतनमान)	1	—	100 प्रतिशत	—	स्टेनोग्राफर (स्टैंडर्ड स्केल)में से पदोन्नति द्वारा
7	स्टेनोग्राफर (स्टैंडर्ड स्केल)	1	100 प्रतिशत अथवा	100 प्रतिशत	—	सीधी भर्ती द्वारा अथवा स्टेनो टायपिस्टों में से पदोन्नति द्वारा
8	सहायक ग्रंथपाल	1	100 प्रतिशत	—	—	—
9	सहायक प्रोग्रामर	1	100 प्रतिशत	—	—	—
10	लेखापाल-सह-केशियर	1	—	100 प्रतिशत	—	सहायक ग्रेड 3 में से जिसने कोष, लेखा एवं पेंशन म0प्र0 से लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण की हो
11	सहायक ग्रेड-2	03	—	100 प्रतिशत	—	सहायक ग्रेड-3 तथा स्वागतकर्ता के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा
12	स्टेनो टायपिस्ट	04	100 प्रतिशत	—	—	—

13	स्वागतकर्ता	01	100 प्रतिशत	—	—	—
14	सहायक ग्रेड-3	12	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	—	25 प्रतिशत पद ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों(दफ्तरी/जमादार) से भरे जाएंगे जिन्होंने 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा पुरानी हायर सेकण्ड्री अथवा (10+2) प्रणाली से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हों।
15	वाहन चालक	09	100 प्रतिशत	—	—	—
16	दफ्तरी	1	—	100 प्रतिशत	—	जमादार, भृत्य, फर्राश और चौकीदार के पद से पदोन्नति द्वारा
17	जमादार	05	—	100 प्रतिशत	—	भृत्य, फर्राश और चौकीदार के पद से पदोन्नति द्वारा
18	भृत्य	12	100 प्रतिशत	—	—	सीधी भर्ती से अथवा उन व्यक्तियों में से जिन्होंने पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और कलेक्टर दर पर कार्यरत हो।
19	चौकीदार	05	100 प्रतिशत	—	—	—तदैव—
20	फर्राश	01	100 प्रतिशत	—	—	—तदैव—
21	वाहन चालक (कलेक्टर दर)	01	100 प्रतिशत	—	—	कलेक्टर दर पर सीधी भर्ती से
22	भृत्य बुक लिफ्टर (कलेक्टर दर)	01	100 प्रतिशत	—	—	कलेक्टर दर पर सीधी भर्ती से



**अनुसूची-तीन**  
(नियम 8 देखिये)

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता

अनु क्रमांक	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु-सीमा	अधिक-तम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	शोध अधिकारी	21	35	1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर होना चाहिये। 2. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एल.एल.बी. की डिग्री होनी चाहिये। 3. कम्प्यूटर संचालन का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिये। 4. यदि कोई शोध किया गया है, तो वह अतिरिक्त योग्यता होगी।	
2	सहायक प्रोग्रामर	21	35	1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिये। 2. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.सी.ए. की उपाधि होना चाहिये।	
3	सहायक ग्रंथपाल	18	35	1. किसी मान्यताप्राप्त संस्था से अंग्रेजी विषय में 55 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकण्ड्री सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) पद्धति में उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. 60 प्रतिशत अंक के साथ पुस्तकालय विज्ञान की स्नातक उपाधि। 3. सूचना प्रौद्योगिकी का कार्यसाधक ज्ञान।	

4	स्टेनोग्राफर (स्टैंडर्ड स्केल)	21	35	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।</li> <li>2. म0प्र0 शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी शीघ्र लेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।</li> <li>3. मान्यताप्राप्त शासकीय संस्थाओं में से किसी संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।</li> </ol>
5	स्टेनो टायपिस्ट	18	35	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0 या किसी अन्य मान्यताप्राप्त बोर्ड से हायर सेकण्ड्री (पुरानी पद्धति) या हायर सेकण्ड्री (10+2) शिक्षा पद्धति से उत्तीर्ण।</li> <li>2. म0प्र0 शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् या किसी अन्य मान्यताप्राप्त बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण तथा हिन्दी शीघ्र लेखन (60 शब्द/प्र.मि.) का कार्य साधक ज्ञान।</li> <li>3. मान्यताप्राप्त शासकीय संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण।</li> </ol>
6	स्वागतकर्ता	21	35	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो और अंग्रेजी विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त हों।</li> </ol>

7	सहायक ग्रेड-3	18	35	<p>1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0 या किसी अन्य मान्यताप्राप्त बोर्ड से हायर सेकण्ड्री (पुरानी पद्धति) या हायर सेकण्ड्री (10+2) शिक्षा पद्धति से उत्तीर्ण हो।</p> <p>2. म0प्र0 शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् या किसी अन्य मान्यताप्राप्त बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र0 सी/3 -11/08 /3/एक दिनांक 12.6.09 में यथा उल्लिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी संस्था से कम्प्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण।</p>	
8	वाहन चालक	18	35	<p>1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0 या किसी अन्य मान्यताप्राप्त बोर्ड से हायर सेकण्ड्री (पुरानी पद्धति) या (10+2) शिक्षा पद्धति से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण हो।</p> <p>2. उसके पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लायसेंस हो और वाहन चालन का अच्छा अनुभव हो</p>	अनुपलब्धता की दशा में अन्य विभाग से प्रति-नियुक्ति पर योग्य कर्मचारी लिए जा सकते हैं
9	भृत्य/ चौकीदार / फर्राश	18	35	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा किसी संस्था से पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।	सीधी भर्ती से अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने कलक्टर दर पर पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
10	वाहन चालक (कलेक्टर दर)	18	35	<p>1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0 या किसी अन्य मान्यताप्राप्त बोर्ड से हायर सेकण्ड्री (पुरानी पद्धति) या दसवीं कक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति से उत्तीर्ण।</p> <p>2. उसके पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लायसेंस हो और वाहन चालन का अच्छा अनुभव होना चाहिये।</p>	योग्य व्यक्ति की कमी की दशा में अन्य विभाग से प्रति-नियुक्ति पर पदस्थपना की जा सकेगी।
11	भृत्य/बुक लिफ्टर (कलेक्टर दर)	18	35	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।	

**अनुसूची-चार**  
(नियम 12 तथा 13 देखिये)  
पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद

अनु क्रमां क.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है।	उस पद का नाम, जिस पर पदोन्नति की जाना है	पदोन्नति के लिये अनुभव की कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सहायक ग्रेड-1	अनुभाग अधिकारी	05 वर्ष	1. आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट समिति 2. अ.जा., अ.ज.जा. के प्रतिनिधि के रूप में कोई अधिकारी - सदस्य (यदि उपलब्ध हैं)	
2	निज सहायक	निज सचिव	05 वर्ष	-तदैव-	
3	स्टेनोग्राफर (वरिष्ठ वेतनमान)	निज सहायक	05 वर्ष	-तदैव-	
4	स्टेनोग्राफर (स्टैंडर्ड स्केल)	स्टेनोग्राफर (वरिष्ठ वेतनमान)	05 वर्ष	-तदैव-	
5	स्टेनो टायपिस्ट	स्टेनोग्राफर (स्टैंडर्ड स्केल)	05 वर्ष	-तदैव-	
6	सहायक ग्रेड-2/ लेखापाल-सह-केशियर	सहायक ग्रेड-1	05 वर्ष	-तदैव-	
7	सहायक ग्रेड-3/ स्वागतकर्ता	सहायक ग्रेड-2/ लेखापाल	05 वर्ष	-तदैव-	

8	दफ्तरी/ जमादार/ भृत्य/चौकीदार /फर्राश	सहायक ग्रेड-3	05 वर्ष	-तदैव-	25 प्रतिशत पद ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (दफ्तरी/ जमादार) से भरे जाएंगे जिन्होंने 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा हायर सेकण्ड्री पुरानी अथवा (10+2) पद्धति से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण।
---	--	---------------	---------	--------	--

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2011

क्रमांक एफ 4-1/2004/1/माअप्र/324 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-1/2004/1/माअप्र/323 दि. 18 मार्च, 2011 का हिन्दी का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

**Government of Madhya Pradesh  
General Administration Department (H.R.C.)  
(Mantralaya) Vallabh Bhawan, Bhopal  
NOTIFICATION**

**Dated: 18 March, 2011**

No. F-4-1/2004/1/H.R.C./323 In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby, makes the following rules relating to the recruitment and service conditions of the officers and employees of the Madhya Pradesh Human Rights Commission, namely:-

**RULES**

**1. Short title and commencement.-**

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Human Rights Commission Officers and Employees (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2011
- (2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

**2. Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Act" means the Protection of Human Rights Act, 1993 (10 of 1994);
- (b) "appointing authority" means the Chairperson of the Madhya Pradesh Human Rights Commission or any other officer authorized by him to act as appointing authority for the purpose of any post or cadre;
- (c) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission or officiating Chairperson authorised (under section 25 of the Act) by the Governor of Madhya Pradesh;

- (d) "Commission" means the Madhya Pradesh Human Rights Commission constituted under section 21 of the Act;
- (e) "Departmental Promotion / Direct Recruitment Committee" means committee as such constituted under these rules;
- (f) "employee" means an employee of the Commission or an employee appointed by the Commission or an employee holding any post in the Commission by absorption from State Minority Commission or other Government Departments;
- (g) "examination" means competitive examination or departmental examination conducted under these rules;
- (h) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (i) "Member" means the Member of the Commission, as has been appointed in accordance with the Act;
- (j) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizen as specified by the State Government vide notification No. F-8-5-XXV-4-84 dated the 26<sup>th</sup> December, 1984 as amended from time to time;
- (k) "Schedule" means Schedule appended to these rules;
- (l) "Scheduled Caste" means any caste, race or tribe or part of, or group within caste, race or tribe specified as Scheduled Caste with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;

- (m) “Scheduled Tribe” means any tribe or tribal community or part of or group within such tribe or tribal community specified as Scheduled Tribe with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;
- (n) “Service” means service as mentioned in column (2) of Schedule II;
- (o) “State” means the State of Madhya Pradesh.

**3 Scope and application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service except the sanctioned posts of the Commission shown at serial No. 1 to 8, 12 and 23 in Schedule I.

**4. Constitution of Service.-** The Service shall consist of the following persons, namely:-

- (a) Persons who, at the time of commencement of these rules, are holding any post substantively or in officiating capacity as specified in Schedule I;
- (b) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and
- (c) Persons recruited to the services in accordance with the provisions of these rules.



- 5. Classification, Pay-band etc.-** (1) The classification of service, the pay-band attached thereto and the number of posts included in the Service shall be in accordance with the provisions of Schedule I :

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the Service either on a permanent or temporary basis in consultation with the Chairperson.

- (2) The members of the Service shall be entitled for time scale of pay under the provisions of the circular of Finance Department dated 24.01.2008.

**6. Method of Recruitment.-**

- (1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-
- (a) by direct recruitment through competitive examination;
  - (b) by promotion amongst the members of the Service as specified in column (3) of Schedule IV;
  - (c) by transfer of the persons appointed on a substantive posts in such services as may be specified.
- (2) The number of persons recruited under clause (a) or (b) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage as shown in Schedule II of the number of posts as specified in Schedule I.

**7. Appointment to the Service .-**

All appointments to the service on the commencement of these rules, shall be made by the appointing authority or the authority as authorised by the Chairperson of the Commission and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment as specified in rule 6.

**8. Conditions of eligibility for direct recruitment.-**

In order to be eligible to compete for selection in the examination, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

- (a) He should be citizen of India;
- (b) **Age - (i)** He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and must not have exceed the age as specified in column (4) of the said Schedule, on the first day of January, next following the date of commencement of the selection;
- (ii) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years, if a candidate belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe;
- (iii) The upper age limit shall be relaxable in respect of the candidates, who are or have been employees of Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below :-
  - (1) A candidate who is a permanent or temporary Government servant, should not be more than 40 years of age. Relaxation of five years shall be

given to candidates belonging to reserved category. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, worked-charged employees and employees working in the project implementation group.

- (2) A candidate who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all service previously rendered by him to a maximum limit of seven years, even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

**Explanation.-** The term “retrenched Government servant” denotes a person who was in Government service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

- (iv) A candidate who is an ex-serviceman will be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him :
- Provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

**Explanation.**— The term “ex-serviceman” denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service :-

- (1) Ex-serviceman released under mustering out concessions;
- (2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on (a) completion of short term engagement; (b) Fulfilling the conditions of enrollment;
- (3) Ex-personnel of Madras Civil unit;
- (4) Officers (military or civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers);
- (5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
- (6) Ex-serviceman invalidated out of service;
- (7) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldier;
- (8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gunshot wounds etc.

- 
- (v) The general upper age limit shall be relaxable up to a maximum of ten years to a woman candidate for direct recruitment;
- (vi) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of the widow/divorced women candidates. This relaxation shall be in addition to all the relaxation in respect of age limit;
- (vii) The general upper age limit shall be relaxable up to a maximum of two years for those candidates who are holding Green Card under the Family Welfare-Programme;
- (viii) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the inter caste marriage incentive programme of the Tribal, Scheduled Caste and Backward Class Welfare Department.
- (ix) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of Vikram Award holder candidates;
- (x) the upper age limit shall be relaxable up to maximum of 40 years of age in respect of candidates, who are employees of the Madhya Pradesh State Corporation/Board. Employees of reserved categories shall get additional relaxation of five years;
- (xi) The upper age limit shall be relaxable for voluntary Home Guards and non-commissioned officers of Home Guards for the period of whole service previously rendered by them but in no case their resultant age should not exceed 40 years;

Note:-Candidates who are found eligible for examination/selection under the age-concessions mentioned in sub-clause (iii)(1) above shall not be eligible for appointment, if after submitting application they resign from service, either before or after examination/selection. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other case their age limit shall be relaxed. A departmental candidate shall be required to obtain prior permission of the appointing authority for presenting himself for selection.

(c) **Educational Qualifications.-**

The candidates must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule III.

(d) **Fees.-**

The candidates competing for direct recruitment must pay the fees as prescribed by the Commission.

9. **Disqualification.-**

- (1) Any attempt on the part of candidate to obtain support for his candidature by any means, may be held by the Commission to disqualify him for appearing in the examination/selection.
- (2) No candidates shall be eligible for appointment to a service or post, who has married before the minimum age fixed for marriage.

- (3) A candidate shall not be eligible for any service or post if he has more than two living children one of whom is born on or after 26 January, 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th January, 2001 in which two or more than two children are born.

- (4) No candidate shall be eligible for the appointment to any service or post who has been convicted for an offence against the women.

**10. Direct Recruitment through Competitive Examination.-**

- (1) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Commission determines from time to time.
- (2) 16 percent and 20 percent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for the candidates who are members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively and 14 percent shall be reserved for Other Backward Classes.
- (3) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

- (4) Those candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as are selected for appointment to the posts with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved under sub-rule (2) for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes, as the case may be.
- (5) If a sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies, without obtaining previous approval of the Government shall not be filled from other candidates and the vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes for the next selection.
- (6) Posts shall be reserved for women candidates as per the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997.
- (7) 6% posts shall be reserved for disabled persons, provided they are found capable of doing the work for which they are being appointed.

**11. Constitution of Selection Committee.-** A selection committee shall be constituted by the Chairperson for selection of candidates through direct recruitment.



**12. List of candidates recommended by Selection Committee.-**

- (1) The selection committee shall prepare a list arranged in order of merit of the candidates, who have qualified by such standards, as may be determined by it.
- (2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.
- (3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the appointing authority is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

**13. Appointment by promotion.-**

- (1) There shall be a committee constituted by the Chairman for making selection for promotion of eligible candidates.
- (2) The committee shall meet atleast once in a year ordinarily.
- (3) For such posts, which are to be filled by promotion as specified in Scheduled II, 16 percent and 20 percent posts shall be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively, who are eligible for promotion.
- (4) The procedure to be followed for filling the reserved vacancies by promotions, shall be in accordance with the

instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

**14. Conditions of eligibility for promotion.-**

- (1) The committee shall consider the cases of all persons who on the first day of January of that year had completed such number of years of service whether officiating or substantive on the posts as specified in column (4) of Schedule IV from which promotion is to be made or any other post or posts declared equivalent by the Government and are within the zone of consideration :

Provided that any junior person shall not be considered for promotion in preference to the person senior to him only on the basis that he has completed the prescribed years of service.

**15. Preparation of the list of suitable candidates.-**

- (1) The committee shall category wise prepare a list of such persons who satisfy the conditions and are held by the committee to be suitable for promotion to the service, besides, a reserve list consisting of the two public servants or 25 percent of persons, whichever is more, shall be included in the said select list. The committee shall also consider the names of each category of public servants in required number for inclusion in the list.

- (2) The selection to be made for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respect with due regard to seniority.
- (3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.
- (4) Ordinarily, the list shall remain valid till it is reviewed and revised but the validity of the list shall not be extended beyond 18 months from the date of its preparation.

**16. Appointment to the Service from the Select List.-**

Appointments of the officers/employees included in the select list to the posts borne on any cadre of the service shall follow the order, in which the names of such officers/employees appears in the select list.

**17. Probation.-**

Every person directly recruited to any cadre of the service shall be appointed on probation for a period of two years.

**18. Interpretation.-**

If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

**19. Applicability of other service rules.-**

The Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965 and other rules relating to Pension,

Gratuity and General Provident Fund as amended from time to time shall be applicable to the officers and employees of the Commission, subject to the following conditions: -

- (a) In case of class-II, class-III and class-IV employees, the Secretary of the Commission shall be the disciplinary authority and in case the post of the Secretary is vacant, the person designated by the Commission shall be the disciplinary authority.
- (b) Every appeal, against the order passed by the prescribed authority mentioned in clause (a), shall be made to the Chairperson.
- (c) The enquiring authority shall have power to issue notices to the witnesses or concerned persons, as the case may be. He shall also compel them to appear before him to produce evidence or the records.

**20. Saving.-**

Nothing in these rules shall affect reservation, and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this behalf.

**Schedule I**  
(See rule-5)  
**Classification of service, pay-band and posts included in the service**

S. No.	Name of posts included in service	Number of posts	Classification	Pay-band
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Secretary	1	I.A.S. Super time Pay Scale	37400-67000+10000 (Grade Pay)
2	Additional Director General of Police	1	I.P.S.	22400-525-24500
3	Deputy Secretary	1	Judicial Service	15600-39100+7600 (Grade Pay)
4	Superintendent of Police/Additional Superintendent of Police.	1	Police Service	37400-67000+8700 (Grade Pay)
5	Joint Director, Public Relation	1	Posted from Public Relations Department	15600-39100+7600 (Grade Pay)
6	Registrar, Law	1	Judicial Service	18750-400-19150-450-21850-500-22850
7	Accounts Officer	1	Finance and Accounts Service	15600-39100+5400 (Grade Pay)
8	Deputy Superintendent of Police	3	Police Service	15600-39100+5400 (Grade Pay)
9	Research officer	1	State Service	15600-39100 + 5400 (Grade Pay)
10	Section Officer	1	State Service	9300-34800 + 4200 (Grade Pay)
11	Private Secretary	5	State Service	9300-34800 + 4200 (Grade Pay)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Inspector	6	Police Service	9300-34800 + 3600 (Grade Pay)
13	Personal Assistant	2	State Service	9300-34800 + 3600 (Grade Pay)
14	Stenographer (for Secretary)	1	State Service	9300-34800 + 3200 (Grade Pay)
15	Stenographer	1	State Service	5200-20200+2800 (Grade Pay)
16	Assistant Grade I	1	State Service	5200-20200+2800 (Grade Pay)
17	Assistant Programmer	1	State Service	5200-20200+2800 (Grade Pay)
18	Assistant Librarian	1	State Service	5200-20200+2800 (Grade Pay)
19	Accountant	1	State Service	5200-20200+2400 (Grade Pay)
20	Assistant Grade II	3	State Service	5200-20200+2400 (Grade Pay)
21	Assistant Grade III	12	State Service	5200-20200+1900 (Grade Pay)
22	Receptionist	1	State Service	5200-20200+1900 (Grade Pay)
23	Constable	12	Police Service	5200-20200+1900 (Grade Pay)
24	Steno Typist	4	State Service	5200-20200+1900 (Grade Pay)
25	Driver	9+1	State Service	5200-20200+1900 (Grade Pay) one post on Collector rate.
26	Daftari	1	State Service	4440-7440 + 1400 (Grade Pay)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27	Jamadar	5	State Service	4440-7440 +1400 (Grade Pay)
28	Peon	12	State Service	4440-7440 + 1300 (Grade Pay)
29	Peon Book lifter	1	State Service	On Collector Rate
30	Watchman	5	State Service	4440-7440 + 1300 (Grade Pay)
31	Farrash	1	State Service	4440-7440 + 1300 (Grade Pay)

## Schedule II

(See rule 6)

## Method of Recruitment

S. No.	Name of Service	Total Number of Posts	Percent of number of posts to be filled in			Remarks
			By direct recruitment see rule 6 (1) (a)	By promotion of the members of the service see rule 6 (1) (b)	By temporary transfer of persons from other services See rule 6 (1) (c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Research Officer	1	100 Per cent	-----	-----	-----
2	Section Officer	1	-----	100 per cent	-----	By promotion from Assistant Grade-I
3	Assistant Grade-I	1	-----	100 per cent	-----	By promotion from Assistant Grade-II or Accountant cum Cashier.
4	Private Secretary	5	-----	100 per cent	-----	By promotion from Personal Assistant (P.A.) or on deputation.
5	Personal Assistant	2	-----	100 per cent	-----	By promotion from Stenographer (Senior Scale)
6	Stenographer (Senior Scale)	1	-----	100 per cent	-----	By promotion from Stenographer (Standard Scale)
7	Stenographer (Standard Scale)	1	100 or	100 per cent	-----	By direct recruitment or by promotion from Steno Typists.
8	Assistant Librarian	1	100 per cent	-----	-----	-----
9	Assistant Programmer	1	100 per cent	-----	-----	-----
10	Accountant – cum – Cashier	1	-----	100 per cent	-----	Out of Assistant Grade III who has passed the accounts training from Treasury, Accounts and Pension, M.P.



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Assistant Grade II	3	-	100 per cent	-----	By promotion amongst the employees working as Assistant Grade-III and Receptionist.
12	Steno Typist	4	100 per cent	-	-----	-----
13	Receptionist	1	100 per cent	-	-----	-----
14	Assistant Grade III	12	75 per cent	25 per cent	-----	25 per cent posts will be filled up from such class IV employees (Daftari/Jamadar) who have completed 5 years of service and have passed old Higher Secondary or 12 <sup>th</sup> examination with 10+2 pattern.
15	Driver	9	100 per cent	-	-----	-----
16	Daftari	1	-	100 per cent	-----	By promotion from the post of Jamadar, Peon, Farrash and Watchman.
17	Jamadar	5	-	100 per cent	-----	By promotion from peon, Farrash and Watchman.
18	Peon	12	100 per cent	-	-----	By direct recruitment or from amongst those persons who have completed 5 years and working on collector rate.
19	Watchman	5	100 per cent	-	-----	By direct recruitment or from amongst those persons who have completed 5 years and working on collector rate.
20	Farrash	1	100 per cent	-	-----	By direct recruitment or from amongst those persons who have completed 5 years and working on collector rate.
21	Driver (Collector rate)	1	100 per cent	-	-----	By direct recruitment on Collector rate.
22	Peon Book lifter (Collector rate)	1	100 per cent	-	-----	By direct recruitment on Collector rate.

**Schedule III  
(See rule 8)**

**Age and qualification of persons to be recruited directly**

S. No.	Name of Service	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Research Officer	21	35	1. Must be a post graduate from any recognized university. 2. Must possess LL.B degree from any recognized university. 3. Must possess working knowledge of computer application. 4. If any research has been done it would be an additional qualification.	
2.	Assistant Programmer	21	35	1. Must be a graduate from any recognized university. 2. Must possess B.C.A. degree from a recognized university.	
3.	Assistant Librarian	18	35	1. Must have passed Higher Secondary examination in 10+2 pattern with 55 per cent marks in English subject. 2. Bachelor Degree of Library Science with 60 per cent marks. 3. Functional knowledge of Information Technology.	
4.	Stenographer (Standard Scale)	21	35	1. Bachelor Degree from a recognized university. 2. Must have passed Hindi Shorthand and Typing examination from M.P. Board of Shorthand and Typewriting Examination Council or from any other recognized Board. 3. Must have passed computer examination from any of the recognized Government Institutions.	
5.	Steno Typist	18	35	1. Must be passed Higher Secondary old pattern or Higher Secondary 10+2 pattern from M.P. Board of Secondary Education or any other recognized Board. 2. Hindi Type writing examination passed from the M.P. Shorthand and Typewriting Examination Council or from any other recognized Board and working knowledge of Hindi Shorthand (60 words/p.m.). 3. Passed Computer examination from any recognized Government Institution.	
6.	Receptionist	21	35	1. Graduate from any recognized university with English as one of the subjects with having at least 50 per cent marks in English.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Assistant Grade III	18	35	<p>1. Must passed Higher Secondary old pattern or Higher Secondary 10+2 pattern from M.P. Board of Secondary Education or any other recognized Board.</p> <p>2. Hindi Type writing examination passed from the M.P. Shorthand and Typewriting Examination Council or from any other recognized Board.</p> <p>3. Possess Computer Diploma as mentioned in General Administration Department Circular C/3-11/08/3/one dated 12.06.2009, from any of the recognized institutions.</p>	-----
8.	Driver	18	35	<p>1. Must passed Higher Secondary (old pattern) or 10<sup>th</sup> Class 10+2 pattern from M.P. Board of Secondary Education or any other recognized Board.</p> <p>2. Must have possessed a valid and effective driving licence and have good experience of driving.</p>	In case of non-availability, the efficient employee may be taken on deputation from any other department.
9.	Peon/ Watchman/ Farrash	18	35	Must passed 5 <sup>th</sup> class from any recognized Board or any Institution.	Direct recruitment or from a person who has completed 5 years services on Collector rate.
10.	Driver (Collector rate)	18	35	<p>1. Must passed Higher Secondary old pattern or 10<sup>th</sup> Class 10+2 pattern from M.P. Board of Secondary Education or any other recognized Board.</p> <p>2. Must have possessed valid and effective driving licence and good experience of driving.</p>	In case of shortage of suitable person then posting may be made on deputation from other Departments
11.	Peon Book lifter (Collector rate)	18	35	Must passed 5 <sup>th</sup> class from any recognized Board or any Institution.	

**Schedule IV**  
(See rules 12 and 13)  
**Posts to be filled by promotion**

S. No.	Name of the Post from which Promotion is to be made	Name of Post to which Promotion is to be made	Period of Experience for promotion	Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Assistant Grade-I	Section Officer	5 years	1. Committee as nominated by the Chairperson of the Commission. 2. Any officer as representative of SC.ST.member (if available)	
2.	Personal Assistant	Private Secretary	5 Years	...do...	
3.	Stenographer (Senior Scale)	Personal Assistant	5 Years	...do...	
4.	Stenographer (Standard Scale)	Stenographer (Senior Scale)	5 Years	...do...	
5.	Steno Typist	Stenographer (Standard Scale)	5 Years	...do...	
6.	Assistant Grade II/Accountant cum Cashier	Assistant Grade-I	5 Years	...do...	
7.	Assistant Grade III/Receptionist	Assistant Grade II/Accountant	5 Years	...do...	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Daftari/Jamadar/ Peon/Watchman /Farrash	Assistant Grade III	5 Years	...do...	25 percent posts to be filled from such class IV employees (Daftari/Jamadar) who have completed 5 years of service and who have passed old Higher Secondary or 12 <sup>th</sup> examination with 10+2 pattern and must have passed Computer examination from any recognized Government Institution.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh  
B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.